

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-16/2023 से 26/2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
(विज्ञापन सं०-20/23, 21/23 एवं 25/23 को छोड़कर)

आयोग के पत्रांक-1366, दिनांक-20.06.2024 द्वारा Computer Based Test में योग्य अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की Scrutiny के पश्चात् आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी है। जिसमें विज्ञापनवार आपत्ति प्राप्त करने की अवधि अलग से प्रकाशित किये जाने का उल्लेख है।

उक्त के क्रम में निम्न विज्ञापनों हेतु दिनांक-25.06.2024 से 01.07.2024 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गयी है:-

क्र० सं०	विज्ञापन संख्या	पदनाम
1	16/2023	व्यवसाय अनुदेशक (मेकैनिक डीजल)
2	17/2023	व्यवसाय अनुदेशक (वैल्डर)
3	18/2023	व्यवसाय अनुदेशक (पलम्बर)
4	19/2023	व्यवसाय अनुदेशक (फाउन्ड्रीमैन)
5	22/2023	व्यवसाय अनुदेशक (इलेक्ट्रीशियन)
6	23/2023	व्यवसाय अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक)
7	24/2023	व्यवसाय अनुदेशक (वायरमैन)
8	26/2023	व्यवसाय अनुदेशक (सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल))

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक-1366, दिनांक-20.06.2024 में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- शेष विज्ञापनों के अन्तर्गत आपत्ति दर्ज करने की तिथि अलग से निर्धारित कर आवश्यक सूचना आयोग के Website पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग के Website का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे।

अनु०:- यथोक्त।

80
24.6.2024
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-07/2023 से 36/2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
(विज्ञापन सं०-15/2023, 20/2023, 21/2023, 25/2023, 29/2023 एवं 30/2023 को छोड़कर)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-07/2023 से 36/2023 तक के अन्तर्गत दिनांक-07.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 16.09.2023 एवं 06.02.2024 (SCVT हेतु) को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का परीक्षा का अंक दिनांक-13.06.2024 को आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दिया गया है।

Computer Based Test में योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों की Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थियों के दावे के अनुरूप Online आवेदन में Upload किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर विज्ञापन के कंडिका-3(ii) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधाक्रम में Scrutiny किया गया। विज्ञापनवार Scrutiny किये गये अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Registration No. के साथ आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in अथवा इस लिंक <http://103.75.167.252/ITI> पर आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जाएगा। अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग के Website का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विज्ञापनवार अलग से प्रकाशित की जायेगी।

मेधाक्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा किये गये दावे के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित रहेगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/ निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

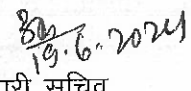
1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र (यथा- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-03.08.2023 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

परन्तु, आयोग के पत्रांक-2851, दिनांक-16.10.2023 द्वारा SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-20.10.2023 से 03.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-03.11.2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

4. विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक-04.07.2023 तक की गयी है।
5. विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण-पत्र को अमान्य किया गया है।
6. विज्ञापन के कंडिका-1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण-पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र Upload नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण-पत्र Upload किये जाने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है।
7. औपबंधिक (Provisional) व्यवसाय प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, औपबंधिक शिक्षता प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, औपबंधिक CITS प्रमाण-पत्र को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्गत मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वैसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
8. विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है।
9. विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-04.07.2023 तक की गई है।
10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-3(iii) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
11. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
12. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
13. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
14. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
15. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
16. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी, आपत्तियों के निष्पादन एवं जाँचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।


 प्रभारी सचिव,
 बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।